आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-10 of 2018

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Rajiv Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :
For the Petitioner :
For the OP :

ORDER

17.09.2018 प्रस्तुत सेवा अपील वाद श्री राजीव कुमार, तत्कालीन सहायक, गृह विभाग (कारा) सम्प्रति बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक– 16/आ0-01-25/2016 सा0प्र0-2516 दिनांक– 22.02.2018 के द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

श्री राजीव कुमार, तत्कालीन सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय सम्प्रति सहायक, बिहार पुलिस सेवा आयोग, पटना के विरुद्ध कार्यालय से अनुपस्थित रहने, अवकाश संबंधी स्वीकृत आवेदन पत्र को नष्ट करने, उपस्थिति पंजी पर ओवर राईटिंग कर बैक डेट से उपस्थिति दर्ज करने, कदाचार एवं मिथ्याचरण से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया था।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख विभागीय ज्ञापन सं0– 16376 दिनांक– 08.12.2016 द्वारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

आरोपी श्री कुमार को उपलब्ध कराया गया एवं उनसे इस संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई। उक्त अनुरोध के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक– 24.01.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनके बचाव अभिकथन पर सम्यक रुप से विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0– 2100 दिनांक– 21.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक– 3614 दिनांक– 06.07.2017 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार सहमत होते हुए नियम 18(3) के तहत जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक– 9994 दिनांक– 04.08.2017 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

श्री राजीव कुमार, सहायक द्वारा दिनांक– 23.08.2017 को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अपने विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों से इन्कार किया गया तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए गए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजीव कुमार, तत्कालीन सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय सम्प्रति सहायक, बिहार पुलिस सेवा आयोग, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोप के संदर्भ में उनके बचाव का लिखित अभिकथन, संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन पर समर्पित अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजीव कुमार, तत्कालीन सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय सम्प्रति सहायक, बिहार पुलिस सेवा आयोग, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

श्री राजीव कुमार द्वारा ही पूर्व में कारा एवं सुधार निरीक्षणलय, गृह विभाग (कारा) के आदेश ज्ञापांक– 6755 दिनांक– 04.11.2016 द्वारा अधिरोपित निलंबन के विरुद्ध राजस्व पर्षद न्यायालय में सेवा अपील वाद– 52/2016 दायर किया गया था। उक्त सेवा अपील में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष –सह– सदस्य सह अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए विभाग को निलंबन आदेश वापस लेने का निदेश दिया गया था।

अरोपी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में बताया गया कि *"उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में न तो विधिक प्रावधानों एवं स्थापित नियमों का पालन किया गया है और न ही विभागीय कार्यवाही के संबंध में की गई कार्रवाई का विधिवत अभिलेखीय संधारण हुआ है। उनके विरुद्ध संचालित की गई विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी की नियमों के प्रति उपेक्षा की भावना एवं उनकी स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है।*

उनके विरुद्ध संचालित की गई संदर्भित विभागीय कार्यवाही के लिए जाँच पदाधिकारी द्वारा न तो संख्या आवंटित की गयी और न ही दिन–प्रतिदिन सुनवाई के संबंध में आदेश फलक (Order Sheet) अथवा अभिलेख ही विधिवत निर्मित एवं संधारित किया गया।

प्रशासी विभाग द्वारा समीक्षा के क्रम में भी जान बूझकर इस तथ्य को उपेक्षित किया गया। संचालन पदाधिकारी के साथ– साथ प्रशासी विभाग द्वारा भी नियमों की घोर उपेक्षा एवं अनदेखी की गई है। यदि जाँच पदाधिकारी एवं प्रशासी विभाग द्वारा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही का

17/1

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

संचालन एवं समीक्षा की गई होती तो उनके विरुद्ध गठित आरोप निश्चित रुप से अप्रमाणित साबित होते। जाँच पदाधिकारी द्वारा नियमगत प्रावधानों की उपेक्षा किये जाने के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा भी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 27 के विहित प्रावधानों के तहत विधिवत जाँच नहीं की गयी है तथा जाँच की औपचारिकता मात्र पूरी करते हुए अपना प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित किया गया है। इसकी पुष्टि उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से होता है, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा केवल उनके बचाव बयान को ही अपने जाँच प्रतिवेदन का आधार बनाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा न तो प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को आरोपों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, न ही उन्हें प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी का प्रतिपरीक्षण (Cross Examination) करने का अवसर दिया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित पूरे जाँच प्रतिवेदन में "प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी" शब्द एक बार भी नहीं आया है। यही नहीं जाँच पदाधिकारी द्वारा उनके अनुरोध के बावजूद उन्हें अपने कथन की सम्पुष्टि के लिए गवाह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन न तो तथ्याधारित है, त तर्क संगत है और न जाँच के लिए विहित प्रक्रिया का उनके द्वारा अनुपालन ही किया गया है। यहाँ तक कि जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में कोई आदेश फलक (Order sheet) भी संधारित नहीं किया गया है, जो किसी विभागीय कार्यवाही के लिए अनिवार्य अभिलेख है और जिससे यह पता चलता है कि जाँच पदाधिकारी द्वार प्रावधानित नियमों के तहत जाँच की गयी है अथवा नहीं। वस्तुतः आदेश फलक पूरी जाँच प्रक्रिया का आईना होता है जिसमें अपने पूरे गुण दोष के साथ जाँच प्रक्रिया प्रतिबिम्बित होती है। आदेश फलक के अभाव में उनके विरुद्ध की गयी विभागीय जाँच पूरी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

तरह पथभ्रष्ठ हो गयी है और इस जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें दिया गया दंड नियम संगत नहीं है।''

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित दंड को सही बताते हुए बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि श्री राजीव कुमार को दिया गया दंड अनुपातिक (Proportionate) नहीं है। उनके विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता या आपराधिक मामले से संबंधित आरोप नहीं है।

अतः न्यायहित कें अनुशासनिक प्राधिकार को निदेश दिया जाता है कि इस मामले में पुनर्विचार कर Fresh Order पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

17/9/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

17/9/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।